




- श्री -

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ----- निगरानी 343-1/09
२००६



मन्वानसिंह आत्मज श्री बनेसिंहजी निवासी ग्राम
रुनजी तहसील घटिया जिला उज्जैन फ ५०

-- आवेदक याचिका कर्ता

विरुद्ध

१- प्रमसिंह आत्मज श्री उमरावसिंहजी राजपूत निवासी
ग्राम रुनजी तहसील घटिया जिला उज्जैन फ ५०

२- फ ५० शासन द्वारा कलेक्टर फ़ोदय,
कोठी वेल्स उज्जैन फ ५०

----- अनावेदक, मृत्युर्धंगण

निगरानी अर्तगत धारा ५६, भारतीय स्टाम्प अधिनियम
न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन फ ५० के
प्रकरण क्रमांक ५५ बी-२०३।१००४-०५ मे पारित आदेश दिना
११-७-२००५ से अस्पष्ट होकर।

(Handwritten signature)


*Rawd
9/17/3/09*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 343-एक/09

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-09-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता तथा अनावेदक क्रमांक 1 श्री लखनसिंह धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>